बिहार सरकार
सूचना एंव जन–सम्पर्क विभाग

सं०सं० विज्ञा0(04)01- 01/2021......101......सू0ज0स0वि0, बिहार, पटना, दिनांक 22/06/2021

संकल्प

विषय :– बिहार वेब मीडिया नियमावली–2021 की स्वीकृति के संबंध में।

बिहार कार्यपालिका नियमावली के अनुसार सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वर्गीकृत विज्ञापनों, उपलब्धियों तथा अन्य सामग्रियों को विज्ञापन के रूप में प्रकाशित करने तथा केन्द्रीकृत भुगतान संबंधी कार्यों के लिए नोडल विभाग है। यह कार्य सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार द्वारा बिहार विज्ञापन नियमावली–2016 के प्रावधानों के अनुरूप निष्पादित किया जा रहा है। लेकिन, तकनीक के विकसित होने से प्रचार–प्रसार के नित नये माध्यम भी विकसित हो रहे हैं। विकसित हो रहे नये माध्यमों पर विज्ञापन के रूप में राज्य सरकार की नीतियों/योजनाओं/कार्यक्रमों आदि का प्रचार–प्रसार करने के उद्देश्य से वेब मीडिया को सूचीबद्ध करने तथा इनपर विज्ञापन निर्गम की प्रक्रिया को निरुपित करने हेतु बिहार वेब मीडिया नियमावली–2021 गठित किये जाने की आवश्यकता है।

अतः तत्संबंधी प्रावधानों एवं उपबंधों को समाहित करते हुए सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग बिहार सरकार के नियमावली अन्तर्गत 'बिहार वेब मीडिया नियमावली–2021 बनाया जाता है।

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ** :– यह नियमावली बिहार वेब मीडिया नियमावली–2021 के नाम से जानी जायेगी।

   i. यह नियमावली राजपत्र में प्रकाशन होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषा** :– इन नियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो –

   i. 'विभाग' से अभिप्रेत है सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग।

   ii. 'सचिव' से अभिप्रेत है अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग।

   iii. 'निदेशक' से अभिप्रेत है निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग।

   iv. 'प्राधिकृत समिति' से अभिप्रेत है राज्य स्तरीय विज्ञापन प्राधिकृत समिति।

   v. 'दर निर्धारण समिति से अभिप्रेत है राज्य स्तरीय विज्ञापन दर निर्धारण समिति।

   vi. 'डी०ए०वी०पी०' से अभिप्रेत है, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का ब्यूरो ऑफ आउटरीच एण्ड कम्यूनिकेशन।

vii. 'वेबसाईट' से अभिप्रेत है इन्टरनेट वेबसाईट/न्यूज पोर्टल/वेब मीडिया/न्यूज मोबाईल एप्प।

1. विभाग में सूचीबद्धता हेतु वेबसाईट का कम से कम 02 वर्ष से अस्तित्व में होना अनिवार्य होगा।

1.1 ऐसी वेबसाईट जिनकी दर का निर्धारण भारत सरकार के डी०ए०वी०पी० द्वारा किया गया हो, उसी दर पर विभाग में सूचीबद्धता हेतु उन्हें योग्य माना जाएगा।

1.2 सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में विज्ञापन पात्रता हेतु, वेबसाईट बिहार विज्ञापन नियमावली-2016 की कंडिका-5,6, एवं 7 (iv) के अनुरूप निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सूचीबद्ध की जायेंगी। डी0ए0वी0पी0 में सूचीबद्ध वेबसाईट्स भी सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में इसी प्रक्रिया के अनुसार सूचीबद्ध की जाएगी।

2-विभाग में सूचीबद्धता हेतु अर्हता :-

2.1 विभाग मे सूचीबद्धता हेतु वेबसाईट का कम से कम 02 वर्ष से अस्तित्व में होना अनिवार्य होगा।

2.2 विभाग में उन वेबसाईटस को सूचीबद्ध किया जायेगा जिनकी प्रति माह हिट्स की संख्या न्यूनतम 0.50 लाख यूनीक यूजर हिट्स होगी। उक्त गणना यूनीक यूजर प्रतिमाह के आधार पर की जाएगी।

2.3 यूनीक यूजर की गणना हेतु 06 महीने के औसत को आधार माना जाएगा। वेबसाइट को वेबसाइट ऑडिटर द्वारा प्रमाणित विगत 06 माह की औसत मासिक यूजर काउंट की रिपोर्ट सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग में जमा कराना होगा। सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग वेबसाइट के यूनीक यूजर डेटा की प्रामाणिकता की जाँच अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृत और विश्वसनीय थर्ड पार्टी टूल्स (गूगल एनालिटिक्स और कॉमस्कोर आदि), जिसके जरिये भारत में वेबसाईट ट्रैफिक को मॉनिटर किया जाता हो, के द्वारा की जाएगी।

2.4 अंग्रेजी वेब मीडिया को भी हिन्दी वेब मीडिया की भाँति विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किया जा सकेगा।

2.5 (क) जिस व्यक्ति अथवा संस्था के नाम पर DOMAIN NAME निबंधित होगा उस व्यक्ति अथवा संस्था के प्रधान का आचरण प्रमाण पत्र सूचीबद्धता हेतु संलग्न करना अनिवार्य होगा। आचरण प्रमाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही उन्हें विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा।

(ख) गंभीर किस्म के अपराधों में लिप्त तथा अनैतिक एवं समाज विरोधी तथा राष्ट्र विरोधी अपराधों के लिए सक्षम न्यायालय द्वारा दंडित व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित एवं सम्पादित वेबसाईट/वेबमीडिया सरकारी विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध नहीं किए जाएंगे।

(ग) अनैतिक, समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों/संस्थानों को सरकारी विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध नहीं किया जाएगा।

2.6 विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध किए जाने हेतु संबंधित वेब माध्यम को सभी प्रमुख ब्राउजर्स (मोबाइल ब्राउजर्स सहित) से कम्पेटिबल होना अनिवार्य होगा ताकि न्यूज वेबसाइट की समाचार सामग्री सोशल साइट्स पर ससमय पढ़ी जा सके।

2.7 विज्ञापन हेतु सूचीबद्धता के उद्देश्य से वेब माध्यमों को यूनीक यूजर्स प्रति माह के आधार पर निम्नलिखित पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा।

समूह 'क'	--	50 लाख से अधिक यूनीक यूजर्स प्रति माह
समूह 'ख'	--	20 लाख से अधिक एवं 50 लाख तक यूनीक यूजर्स प्रति माह
समूह 'ग'	--	2.5 लाख से अधिक एवं 20 लाख तक यूनीक यूजर्स प्रति माह
समूह' घ	--	1.5 लाख से अधिक एवं 2.5 लाख तक यूनीक यूजर्स प्रति माह
समूह 'ङ'	--	0.5 लाख से अधिक एवं 1.5 लाख तक यूनीक यूजर्स प्रति माह

2.8 यूनीक यूजर की गणना के समय एक ही कम्पनी की अलग–अलग वेबसाईटों की बंचिग/जोड़ की अनुमति नहीं होगी।

2.9 (क) सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के विज्ञापन को (रिक्रप्ट स्ट्रिप या आडियो/वीडियो) प्रथम स्क्रॉल में मुख पृष्ठ (होम पेज) पर लीडर बोर्ड के साथ–साथ बिहार के पेज, जिस पर बिहार से संबंधित खबरें होती है, के लीडर बोर्ड में भी एक साथ प्रकाशित करना होगा।

(ख) होम पेज तथा बिहार के प्रथम पेज के अलावा विभाग किसी भी वेबसाइट के उल्लेखित स्थानों के अतिरिक्त किसी भी अन्य प्रासंगिक स्थान पर विज्ञापन के प्रकाशन का आदेश निर्गत करने के लिए स्वतंत्र होगा तथा असामान्य पाठ्य सामग्री एवं गतिविधियों (Unusual content and unusual activity) के अनुश्रवण के आधार पर किसी भी वेबसाइट को विज्ञापन न देने का अधिकार सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को होगा।

2.10 जिन वेब मीडिया की विज्ञापन दर, भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एण्ड कम्यूनिकेशन (डी0ए0वी0पी0) द्वारा निर्धारित है, उन्हें विभाग द्वारा भी वही दर मान्य होगी किन्तु जिन वेब माध्यमों की डी0ए0वी0पी0 दर निर्धारित नहीं है, उन्हें इस वेब मीडिया नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार डी0ए0वी0पी0 दर के समानुपातिक दर से भुगतान किया जायेगा, जो उनकी यूनीक यूजर हिट्स के आधार पर निर्धारित श्रेणी के अनुरुप होगा।

समूह–क 50 लाख से अधिक यूनीक यूजर प्रति माह

क्र० सं०	बैनर की विशिष्टता	सी.पी.टी.आई (COST PER THOUSAND IMPRESSION) के आधार पर दर (रूपये में)
1	300x250 पिक्सल (pixels)	45
2	728x90 पिक्सल (pixels)	55

3	वीडियो ऐड्स / 5 से0 (Video ads 5 sec) S	50
	फिक्स्ड स्लॉट	**दर रूपये में**
1	फिक्स्ड स्लॉट अपराह्न 06 बजे से 12 मध्य रात्रि (Fixed Slot 6 pm to 12 midnight)	35000
2	फिक्स्ड स्लॉट मध्य रात्रि 12 से पूर्वाह्न 6 बजे तक (Fixed Slot 12 midnight to 6 am)	50000
3	फिक्स्ड स्लॉट पूर्वाह्न 6 बजे मध्याह्न 12 बजे तक (Fixed Slot 6 am to 12 noon)	100000
4	फिक्स्ड स्लॉट मध्याह्न 12 बजे से अपराह्न 6 बजे तक (Fixed Slot 12 noon to 6 pm)	100000
5	फिक्स्ड बैनर 24 घण्टे (Fixed Banner 24 hour)	150000

समूह–ख 20 लाख से अधिक एवं 50 लाख से कम यूनीक यूजर प्रति माह

क्र० सं०	बैनर की विशिष्टता	सी.पी.टी.आई (COST PER THOUSAND IMPRESSION) के आधार पर दर (रूपये में)
1	300x250 पिक्सल (pixels)	45
2	728X90 पिक्सल (pixels)	55
3	वीडियो ऐड्स / 5 से0 (Video ads 5 Sec)	0.8

समूह–ग 2.5 लाख से अधिक एवं 20 लाख से कम यूनीक यूजर प्रति माह

क्र० सं०	बैनर की विशिष्टता	सी.पी.टी.आई (COST PER THOUSAND IMPRESSION) के आधार पर दर (रूपये में)
1	300x250 पिक्सल (pixels)	26
2	728x90 पिक्सल (pixels)	26
3	वीडियो ऐड्स / 5 से0 (Video ads 5 Sec)	0.8

समूह–घ 1.5 लाख से अधिक एवं 2.5 लाख से कम यूनीक यूजर प्रति माह

क्र० सं०	बैनर की विशिष्टता	सी.पी.टी.आई (COST PER THOUSAND IMPRESSION) के आधार पर दर (रूपये में)
1	300x250 पिक्सल (pixels)	15.6
2	728x90 पिक्सल (pixels)	15.6
3	वीडियो ऐड्स / 5 से0 (Video ads 5 Sec)	0.48

समूह–ड़ 0.5 लाख से अधिक एवं 1.5 लाख से कम यूनीक यूजर प्रति माह

क्र० सं०	बैनर की विशिष्टता	सी.पी.टी.आई (COST PER THOUSAND IMPRESSION) के आधार पर दर (रूपये में)
1	300x250 पिक्सल (pixels)	5.2

2	728x90 पिक्सल (pixels)	5.2
3	वीडियो ऐड्स / 5 से0 (Video ads 5 Sec)	0.16

नोटः– उपरोक्त वर्णित दर वर्तमान में DAVP द्वारा अधिसूचित दर के अनुरूप हैं। भविष्य में यदि DAVP के दर में संशोधन होता है तो DAVP में सूचिबद्ध ऐंसियों के लिए समूहवार संशोधित दर प्रभावी होगा तथा वैसी एजेंसियाँ जो DAVP से सूचीबद्ध नहीं हैं (यथा समूह घ एवं ड़) के लिए तद्नुसार समानुपातिक दर मान्य होगा।

2.11 जिस विभाग का विज्ञापन प्रकाशित होगा उस विभाग को उक्त डिजिटल विज्ञापन की एक साफ्ट कॉपी डीवीडी या सीडी के रूप में तथा पांच हार्ड कॉपी वेब माध्यमों द्वारा इस प्रकार भेजना अनिवार्य होगा कि प्रत्येक पृष्ठ पर प्रकाशित विज्ञापन का सक्रिय एवं उपलब्ध वेब एड्रेस भी साफ–साफ मुद्रित दिखे। संबंधित विभाग को भेजे गये उक्त पत्र की प्रति इन्वाईस (invoice) के साथ सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जायेगा।

2.12 संस्था को भुगतान निम्नलिखित तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त ही किया जायेगाः

(क) प्रकाशित वेब विज्ञापन कंटेंट सुव्यवस्थित तथा हाई डेफिनेशन डिजिटल गुणवत्ता सहित होगा।

(ख) वेब माध्यम के कान्टेक्ट/About us विवरणी में स्वत्वाधिकारी, वेबमास्टर, मोडरेटर, एडिटर, का नाम, संपर्क तथा स्थानीय पता आदि का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।

(ग) वेबसाईट पर वेब सम्पादक का उल्लेख अलग से होना चाहिए, जो प्रकाशित सामग्री के चयन के लिए पी.आई.बी. एक्ट के अधीन जिम्मेदार होंगे।

(घ) वेब विज्ञापन जिस दिवस के लिए निर्गत किया गया है, उसी दिन अपलोड किये जाने का प्रमाण संस्थान द्वारा साफ्ट तथा हार्ड कापी के रूप में निदेशक, सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग को स्वंय संस्थान द्वारा अपने व्यय पर उपलब्ध कराया जाएगा।

2.13 वेब विज्ञापन प्रकाशन अवधि पूर्ण होने की तिथि से 1 माह के अन्दर संस्था द्वारा भुगतान हेतु इन्वाईस (invoice) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

2.14 **विज्ञापन के लिए वेब मीडिया की ब्लैकलिस्टिंगः–** विभाग द्वारा सूचीबद्ध वेब माध्यमों को निम्नलिखित कारणों के आधार पर भविष्य में सरकारी विज्ञापन हेतु ब्लैक लिस्ट किया जा सकेगाः

(क) संबंधित वेब मीडिया की न्यूनतम (यूनीक यूजर) हिट्स की संख्या विभागीय जांच में गलत प्रमाणित होने पर।

(ख) संबंधित वेब मीडिया के स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक/सम्पादक के किसी भी अपराध के लिये सक्षम न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किए जाने पर।

(ग) संबंधित वेब मीडिया के संबंध में यह प्रमाणित होने पर कि उसने गलत तथ्य प्रस्तुत करके सूचीबद्धता प्राप्त की है।

(घ) संबंधित वेब माध्यम की वेबसाईट बंद होने, उसका डोमेन रद्द होने या नवीनीकरण न होने अथवा सर्वर लगातार दो दिन तक डाउन रहने अथवा एक सप्ताह तक औसतन 90 प्रतिशत से अधिक सर्वर डाउन रहने पर वेब मीडिया को निष्क्रिय माना जाएगा।

(ङ) संबंधित संस्था द्वारा Press Council Of India की Guidelines के विरुद्ध या झूठे एवं भ्रामक समाचार प्रकाशन कराना प्रमाणित होने पर।

2.15 उपरोक्त वर्णित तथ्य/कारण संज्ञान में आने पर सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग द्वारा जांच करायी जाएगी तथा जांच में तथ्यों की पुष्टि होने पर संबंधित वेब माध्यम के स्वत्वाधिकारी/प्रकाशक /मुद्रक अथवा सम्पादक को नोटिस देते हुए उनका स्पष्टीकरण प्राप्त करके उस पर विचार करते हुए ब्लैक लिस्टिंग का आदेश पारित किया जा सकेगा।

3. सूचीबद्धता:--

3.1 किसी भी वेब माध्यम की सूचीबद्धता की प्रक्रिया, उस वेब माध्यम के कम से कम दो साल तक निरंतर सक्रियता के उपरान्त ही की जायेगी।

3.2 इस सूचीबद्धता हेतु संबंधित संस्थान को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, जिसके साथ संबंधित वेब माध्यम के पंजीयन तथा यूनीक यूजर हिट्स आदि का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

3.3 वेब विज्ञापन हेतु वेब मीडिया को यूनीक यूजर (हिट्स) के आधार पर उपरोक्तानुसार सम्बन्धित श्रेणी में सूचीबद्ध किया जाएगा।

3.4 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग में विज्ञापन हेतु किसी भी वेबसाईट का वैप (WAP) आधारित (कॉम्पैटिबिलिटी ऑन मोबाइल फोन्स, पॉम टाप, टैब्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टैण्ट्स (पीडीए) आदि) होना आवश्यक है। जो वेबसाइट्स मोबाइल फोन पर उपलब्ध नहीं है, उन्हें विज्ञापन हेतु सूचना विभाग में सूचीबद्धता प्रदान नहीं की जायेगी।

3.5 सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग डी०ए०वी०पी० सूची के अतिरिक्त उन्हीं वेबसाइट्स को विज्ञापन प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध करने हेतु प्राथमिकता प्रदान करेगा, जिनकी संस्था का पंजीकृत कार्यालय एवं संचालन बिहार की भौगोलिक सीमा रेखा के अंदर हो।

4. उपरोक्त वेबसाइट्स पर प्रतिदिन पहुँचने वाले (हिट्स) की गणना प्रतिष्ठित डेटा टूल्स (गूगल एनालिटिक्स और कॉमस्कोर आदि) द्वारा यूनीक यूजर को आधार मानकर की जाएगी। 5. बिहार वेब मीडिया नियमावली 2021 में वित्त विभाग, गृह विभाग एवं विधि विभाग की सहमति एवं मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेश आदेश दिया जाता है इस संकल्प को बिहार गजट के असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और उसकी प्रति सभी संबद्ध विभागों/ विभागाध्यक्षों को भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(अनुपम कुमार)
सरकार के सचिव

ज्ञापांक विज्ञा०(04)01-01/2021.....482...../सू०ज०स०वि०, पटना दिनांक 22/06/2021

प्रतिलिपि:--महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, महालेखाकार कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना 800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक विज्ञा०(04)01-01/2021.....482...../सू०ज०स०वि०, पटना दिनांक 22/06/2021

प्रतिलिपि:--सभी विभाग/विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी एवं सभी कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

21/6/21
सरकार के सचिव

ज्ञापांक-- विज्ञा0(04)01--01 / 2021......482....... / सू0ज0स0वि0, पटना ...... दिनांक 22/06/2021

प्रतिलिपिः--ई-गजट प्रशाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-- विज्ञा0(04)01-01 / 2021......482....... / सू0ज0स0वि0, पटना ...... दिनांक 22/06/2021

प्रतिलिपिः-- आई0टी0 मैनेजर, सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने के निदेश के साथ प्रेषित।

22/06/21

सरकार के सचिव